श्री गांधी महाविद्यालय

सिधौली, सीतापुर, 26130

सहयुक्त - लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, 22607

प्रवेश - निर्देशिका

सत्रः 2026-27

website: shrigandhicollege.co.in

राष्ट्रीय सेवा योजना
N.S.S
सात दिवसीय विशेष शिविर
श्री गाँधी महाविद्यालय
राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S)

महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सन 1925 में पड़ाव की भूमि पर स्वतंत्रता आंदोलन की एक विशाल जनसभा को सम्बोधित किया था तथा सीतापुर जनपद के देश भक्त नर-नारियों ने अपने बहुमूल्य जेवरात यथासम्भव धनराशि महात्मा के चरणों में अर्पित की थी। उक्त स्मृति को चिरस्थायी बनाये रखने के लिये गांधीवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षा-प्रेमी, पूर्व विधायक स्व0 ताराचन्द्र माहेश्वरी सन 1974 में गांधी विद्यालय समिति के तत्वावधान में महाविद्यालय भवन की नींव रखी। उनके सतत प्रयास से सन 1976 में महाविद्यालय का कार्य पूर्ण हुआ। महाविद्यालय को सन 1981 में कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा कला संकाय के आठ विषयों-हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र तथा इतिहास में अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त हुई। माहेश्वरी जी के 15 जनवरी 1983 में दिवंगत होने के पश्चात उनके निकट सहयोगी श्री तोताराम जैन सचिव महाविद्यालय समिति तथा तत्कालीन प्राचार्य डॉ0 हृदय नारायण सिंह के सतत प्रयास से महाविद्यालय को सन 1986 में स्थायी सम्बद्धता प्राप्त हुई। एक मार्च 1988 को श्री गांधी महाविद्यालय, उ0प्र0 शासन की अनुदान सूची पर आया। सन 1992 में परास्नातक स्तर पर अर्थशास्त्र विषय में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत अस्थायी सम्बद्धता तथा सन 1994 में स्थायी सम्बद्धता प्राप्त हुई। महाविद्यालय को सन 1995–1996 से परास्नातक स्तर पर हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा स्नातक स्तर पर गृह विज्ञान, भूगोल, प्राचीन इतिहास तथा संस्कृति विषयों में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त हुई। सन 1998 में शिक्षा संकाय में बी0एड0 की इसी योजना के अन्तर्गत सम्बद्धता प्राप्त हुई। सन 2016 में महाविद्यालय में बी0कॉम0 की अस्थायी सम्बद्धता तथा सन 2020 में स्थायी सम्बद्धता प्राप्त हुई।

अध्ययन-अध्यापन, परीक्षाफल तथा अनुशासन की दृष्टि से श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली, सीतापुर को सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थान के रूप में ख्याति प्राप्त है।

यह महाविद्यालय नई शिक्षा नीति के श्रेष्ठतम अध्ययन केन्द्र के रूप में विकसित होकर छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास का पथ प्रशस्त कर सके, ऐसा प्रयास सतत जारी है।

महाविद्यालय के संस्थापक : स्व. ताराचन्द्र माहेश्वरी

जीवन-परिचय

महाविद्यालय के संस्थापक स्व. ताराचन्द्र माहेश्वरी एक अग्रणी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं लब्ध-प्रतिष्ठ गांधीवादी विचारक थे। स्व0 श्री माहेश्वरी का जन्म 20 अगस्त 1912 ई0 को सीतापुर जिले के सिधौली ग्राम में हुआ था। वे बचपन से ही चिन्तनशील और सामाजिक कार्यों में क्रियाशील रहे।

स्व0 श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी का व्यक्तित्व अत्यन्त जुझारू एवं संघर्षशील रहा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सक्रिय योगदान दिया। उनकी शिक्षा तथा शैक्षाणिक गतिविधियों में विशेष रुचि थी। सामाजिक परिवर्तन के लिए वे शिक्षा को एक प्रभावशाली माध्यम मानते थे। श्री माहेश्वरी निरन्तर कई वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य रहे। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण पदों को भी सुशोभित किया। राजनीति के क्षेत्र में श्री माहेश्वरी एक सुविख्यात राजनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते थे। वे स्व. चन्द्र भानु गुप्त के अधिक निकट थे। उनके सार्थक प्रयासों से सामाजिक एवं स्थानीय राजनीतिक गतिविधियों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण स्थान मिला।

महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्व0 श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी ने अनेक विद्यालयों की स्थापना की। वे सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय की भावना में अटूट विश्वास रखते थे। उनका मत था कि अन्त्योदय का एक मात्र आधार शिक्षा का विकास है। जब तक शिक्षा का जन-जन तक प्रचार-प्रसार न हो, तब तक जनमानस का सर्वांगीण विकास असम्भव है। इसी पावन उद्देश्य से शिक्षा को सर्व सुलभ एवं उपयोगी बनाने के लिए उन्होंने श्री गांधी महाविद्यालय के अतिरिक्त कई अन्य विद्यालयों की नींव रखी थी, जो अद्यतन विकास के पथ पर सतत अग्रसर हैं।

श्री माहेश्वरी जी 15 जनवरी 1983 ई0 को पंचतत्व में विलीन हो गये, किन्तु उनकी अदृश्य उपस्थिति एवं प्रेरणा सदैव हमारे कर्तव्य पथ को आलोकित करती रहेगी।

श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर
SHRI GANDHI COLLEGE, SIDHAULI, SITAPUR
सत्र : 2026–27

इस प्रवेश-निर्देशिका में प्रस्तुत नियम, निर्देश व सूचनाएँ प्रवेशार्थियों के मार्ग दर्शन के लिये हैं। इसमें निर्दिष्ट किसी नियम-परिनियम, उपनियमों, उपबन्धों एवं प्राविधान आदि की व्यवस्था के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) तथा उसके अन्तर्गत निर्मित लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, (अद्यतन संशोधित) के परिनियम, अध्यादेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न शासनादेश, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के सुसंगत प्राविधान एवं महाविद्यालय के नियम सर्वोपरि होंगे। छात्र/छात्राओं एवं उनके अभिभावकों से अपेक्षा है कि शिक्षण–सत्र 2026–27 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र पूर्ति करने से पूर्व प्रवेश-निर्देशिका का भलीभांति ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें।

प्रो0 अजय शुक्ल
प्राचार्य

किसी भी राष्ट्र के निर्माण का स्वप्न वहाँ की शिक्षण संस्थाओं में सम्पन्न होता है। सभ्य, सुसंस्कृत, चरित्रवान तथा समाजसेवी नागरिकों से ही राष्ट्र का विकास तथा राष्ट्रीय गरिमा में वृद्धि होती है। महाविद्यालय प्रबन्ध समिति का प्रयास है कि श्री गांधी महाविद्यालय को नई शिक्षा नीति के अनुरूप एक सर्वोत्तम महाविद्यालय के रूप में विकसित करें। मेरी कामना है कि श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली सीतापुर से शिक्षित व प्रशिक्षित होने वाले विद्यार्थी केवल भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व के गौरव में भी अभिवृद्धि करें।

डॉ. कमल कुमार जैन
सचिव

श्री गांधी महाविद्यालय

सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश

सत्र 2026–27 के समस्त प्रवेशार्थियों का श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। इस महाविद्यालय ने स्थापना अवधि से अद्यतन अपनी उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धियों के कारण उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाई है।

आप सभी अवगत हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षण संस्थानों में सत्र 2021–22 से क्रियान्वित हो चुकी है। नई शिक्षा नीति में परिकल्पित है कि उच्च शिक्षण संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षण विधि विद्यार्थियों में मौलिक दायित्वों, संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और वैश्विक जागरूकता उत्पन्न करे। अतः हमारा महाविद्यालय परिवार नई शिक्षा नीति के अनुरूप अपने विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु इस तरह प्रयासरत है कि वे न केवल इस महाविद्यालय के छात्र-छात्रा होने का गर्व कर सकें अपितु उनके व्यवहार, बुद्धि, ज्ञान, कौशल और जीवन मूल्यों में भारतीय होने का उत्कृष्ट भाव भी जागृत हो सके।

हमारा प्रयास है कि नई शिक्षा नीति की प्रगतिशील परिकल्पना के अनुरूप अपने विद्यार्थियों को इस तरह शिक्षित व प्रशिक्षित कर सकें कि उन्हें जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनुपयुक्त होने का बोध न हो।

महाविद्यालय के प्रवेशार्थियों, अभिभावकों तथा अन्य जिज्ञासु महानुभावों के लिए यह संक्षिप्त सूचना संहिता उनके प्रयोग के लिए प्रकाशित की गई है।

आशा है नवीन सत्र 2026–27 के विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रवेश-निर्देशिका मार्गदर्शन में उपयोगी सिद्ध होगी।

शुभकामनाओं सहित
प्रो० अजय शुक्ल
प्राचार्य

अनुशासन

अनुशासन विद्यार्थियों को नियमित, संयमित एवं विवेकवान बनाता है। अनुशासन के बिना विद्यार्थियों में सफलता के गुण विकसित नहीं होते। विद्यार्थियों को गुरुजनों के सम्पर्क में रहकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। कक्षाओं के समय का पालन करना चाहिए। कक्षा में मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। महाविद्यालय परिसर में पान-मसाला, सुपारी, तम्बाकू आदि का सेवन वर्जित है। छात्र-छात्राओं को स्वच्छ व अनुशासित वातावरण बनाये रखना चाहिए।

पाठयक्रम

समस्त कक्षाओं के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट का अवलोकन करें।

परिचय/पुस्तकालय-पत्र

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त समस्त विद्यार्थियों को परिचय / पुस्तकालय पत्र सदैव अपने पास रखना चाहिए। महाविद्यालय के प्राध्यापक / कर्मचारी द्वारा माँगे जाने पर तुरन्त दिखाना अनिवार्य है।

साइकिल स्टैंड

महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के लिए साइकिल स्टैंड की सुविधा उपलब्ध है। छात्र / छात्राएं अपनी साइकिल अथवा मोटरसाइकिल वहां जमा कर सकते हैं।

प्रवेश

समस्त प्रवेश एवं शुल्क जमा करने की व्यवस्था ऑनलाइन होगी। इस सम्बन्ध में नियमित रूप से महाविद्यालय की वेबसाइट देखते रहें।

छात्रवृतीय

महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित समस्त छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन की सुविधा नियमानुसार उपलब्ध है।
शैक्षिक सत्र 2026–27 में 75 प्रतिशत या उससे अधिक उपस्थिति रहने वाले छात्र / छात्राओं को भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी।

काशनमनी

महाविद्यालय के छात्र स्नातक उत्तीर्ण होने के 3 वर्ष के अन्तर्गत काशनमनी वापस करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि छात्र काशनमनी का धन वापस नहीं लेना चाहता है।

मनाये जाने वाले दिवस/सप्ताह

भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तथा उच्च शिक्षा निदेशक प्रयागराज द्वारा समय-समय पर निर्धारित निर्देशानुसार सभी कार्यक्रम / दिवस नियमानुसार सम्पन्न होंगे।

एनएसएस/एनसीसी यूनिट

महाविद्यालय में एनएसएस एवं एनसीसी की इकाइयां कार्यरत हैं। इच्छुक छात्र / छात्राएं कार्यक्रम अधिकारी से सम्पर्क कर भाग ले सकते हैं।

रोवर्स-रेंजर्स/ड्रेस

महाविद्यालय में रोवर्स / रेंजर्स की इकाइयां कार्यरत हैं।

रोवर्स ड्रेस: शर्ट – स्टील ग्रे रंग पैंट – नीला जूता – काला मोजा – काला	**रेंजर्स ड्रेस:** शर्ट – आसमानी रंग सलवार / दुपट्टा – नीला जूता – काला

महाविद्यालय ड्रेस

महाविद्यालय में ड्रेस कोड अनिवार्य है।

छात्र: पैंट – स्टील ग्रे, शर्ट – सफेद

छात्रा: सलवार – सफेद, कुर्ता – स्टील ग्रे

क्रीड़ा / खेल-कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम

महाविद्यालय प्रशासन का सदैव प्रयास रहता है कि उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करते हुए विद्यार्थी खेल-कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अधिक से अधिक रुचि लें एवं अपनी प्रतिभा से अपना तथा महाविद्यालय का मान बढ़ाएं।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

1. महाविद्यालय में एक केन्द्रीय पुस्तकालय तथा दो अन्य समृद्ध एवं उपयोगी पुस्तकालय है, जिसमें सम्बद्ध एवं अन्य विषयों की पुस्तकों के साथ ही विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाएँ तथा शोध पत्रिकाएँ आदि भी उपलब्ध हैं। निर्धन एवं मेधावी छात्रों के लिए इस महाविद्यालय के पुस्तकालय से सम्बद्ध एक बुक-बैंक भी स्थापित है।
2. पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए छात्र एवं छात्राओं को परिचय पत्र युक्त पुस्तकालय कार्ड दिये जायेंगे। यह कार्ड पाने के लिए अनलाइन सदस्यता फार्म भरना होगा। विद्यार्थियों का परिचय पत्र ही अब उनका पुस्तकालय कार्ड होगा।
3. एक विधार्थी को केवल दो पुस्तकें, पुस्तक कार्ड धारक को दी जायेगी। अन्य छात्र या छात्रा अथवा किसी परिचित पुस्तकालय से पुस्तकें को नहीं दी जायेगी।
4. पुस्तकें प्राप्त करने के लिए छात्र-छात्राओं को निर्धारित कार्य दिवस पर काउन्टर पर माँग-पर्ची देनी होगी जिसमें पुस्तक तथा लेखक का नाम आदि लिखना होगा। यदि पुस्तक उपलब्ध है तो उसी समय अथवा सम्बन्धित पुस्तके अगले कार्य दिवस में दे दी जायेगी।
5. पुस्तक निर्गत कराने के लिए छात्र्/छात्राओं को परिचय पत्र युक्त पुस्तकालय कार्ड प्रस्तुत करना होगा अन्यथा पुस्तक नहीं मिलेगी।
6. पुस्तकें केवल 14 दिनों के लिए ही दी जायेगी। पुस्तकों को निर्धारित तिथि पर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 रूपया प्रतिदिन प्रति पुस्तक की दर से विलम्ब दण्ड जमा करना होगा। असाधारण अवस्था में यह दण्ड बढ़ाया जा सकता है।
7. पुस्तक प्राप्त करने के उपरान्त सभी छात्र-छात्राओं का यह कर्तव्य हो जाता है कि पुस्तक अच्छी तरह से देख लें कि पुस्तक अच्छी हालत में है या पृष्ठ कटे-फटे तो नहीं हैं। यदि पुस्तक अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसी स्थिति में काउन्टर पर अथवा पुस्तकालयाध्यक्ष या पुस्तकालय कर्मचारी को सूचित करें। जमा करते समय पुस्तक में कोई कमी पाई जाती है तो उसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र-छात्रा का होगा।
8. छात्र-छात्राओं को केवल उसी विषय की पुस्ताakें दी जायेगी जिन विषयों में वे अध्ययन कर रहे हैं।
9. यदि किसी छात्र-छात्रा का परिचय पत्र युक्त पुस्तकालय कार्ड खो जाता है तो उसकी एक लिखित सूचना पुस्तकालयाध्यक्ष / कार्यालय को दे दें । यदि पुस्तकालयाध्यक्ष / कार्यालय इस तथ्य से सहमत हैं तब एक निश्चित अवधि के पश्चात् दूसरा परिचय पत्र युक्त पुस्तकालय कार्ड निर्धारित फीस जमा करने पर निर्गत किया जायेगा। सामान्यतः सूचना देने के एक माह उपरान्त ही दूसरा कार्ड बनाया जायेगा।
10. यदि खोये परिचय पत्र युक्त पुस्तकालय कार्ड पर कोई अन्य छात्र- छात्रा पुस्तक जारी करा लेता है तो उसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र-छात्रा पर होगा।
11. सन्दर्भ ग्रन्थ (शब्द कोश, शोध प्रबंध, अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि) पत्रिकाएँ जनरलस आदि पुस्तकालय के बाहर नहीं ले जाया जा सकता है।
12. छात्र-छात्राओं का पुस्तक संग्रहालय में प्रवेश वर्जित है।
13. विशेष परिस्थितियों में प्राचार्य किसी भी छात्र-छात्रा से किसी भी पुस्तक को वापस करने का आदेश दे सकते हैं।
14. छात्र-छात्राओं को पुस्तकें परीक्षायें आरम्भ होने से पहले ही पुस्तकालय को वापस करनी होगी।
15. पुस्तकें वापस न करने की स्थिति में परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है।
16. पुस्तकालय की पुस्तकें खोने, चोरी होने, जलने या फटी पायी जाने की स्थिति में छात्र एवं छात्राओं को पुस्तक का नवीन संस्करण पुस्तकालय में प्रतिस्थापन के लिए जमा करना अनिवार्य होगा।

विषय के चयन के ग्रुप

GROUP	SUBJECTS
Group A	Hindi
Group B	English Sanskrit
Group C	History Ancient Indian History
Group D	Economics Sociology
Group E	Geography Home Science Physical Education
Group F	Political Science

विषयों का चयन निम्न शर्तों के अधीन है –

1. प्रत्येक ग्रुप से एक ही विषय का चयन किया जा सकता है।
2. मेजर ग्रुप में आवंटित विषय को माइनर के रूप में नहीं लिया जा सकता है।
3. जिस ग्रुप से मेजर विषय लिया गया है, उस ग्रुप से माइनर विषय नहीं लिया जा सकता है।

शुल्क विवरण

बी०ए० अनुदानित सीट

सेमेस्टर	छात्र	छात्रा
प्रथम	2850/-	2670/-
द्वितीय	1250/-	1250/-
तृतीय	2320/-	2140/-
चतुर्थ	1250/-	1250/-
पंचम	2320/-	2140/-
षष्ठम	1250/-	1250/-

बी०ए० स्ववित्तपोषित

सेमेस्टर	छात्र/छात्रा	प्रायोगिक विषय के साथ
प्रथम	4250/-	4750/-
द्वितीय	4000/-	4000/-
तृतीय	4250/-	4750/-
चतुर्थ	4000/-	4000/-
पंचम	4250/-	4750/-
षष्ठम	4000/-	4000/-

बी०कॉम० स्ववित्तपोषित

सेमेस्टर	छात्र/छात्रा
प्रथम	5000/-
द्वितीय	5000/-
तृतीय	5000/-
चतुर्थ	5000/-
पंचम	5000/-
षष्ठम	5000/-

एम०ए० स्ववित्तपोषित

सेमेस्टर	छात्र/छात्रा
प्रथम	6000/-
द्वितीय	6000/-
तृतीय	6000/-
चतुर्थ	6000/-

बी०एड० स्ववित्तपोषित सीट

सेमेस्टर	छात्र/छात्रा
प्रथम	15000/- + विवरण में देय परीक्षा शुल्क
द्वितीय	15000/- + विवरण में देय परीक्षा शुल्क
तृतीय	15000/- + विवरण में देय परीक्षा शुल्क
चतुर्थ	15000/- + विवरण में देय परीक्षा शुल्क

नोट:

• सभी कक्षाओं के अंतिम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री शुल्क का निर्धारण करने पर छात्रों को डिग्री शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

महाविद्यालय परिवार

शिक्षक संवर्ग

प्रो० अजय शुक्ल – प्राचार्य

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह — एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास)

डॉ० गोपाल सिंह — असिस्टेंट प्रोफेसर (हिन्दी)

डॉ० अजय कुमार वर्मा — असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र)

सुश्री सोनी गौतम — असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र)

डॉ० चेतना मिश्रा — असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान)

डॉ० जयकरण — असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान)

श्री रणविजय प्रताप — असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान)

डॉ० राम सिंह — असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र)

डॉ० रत्ना पवार — असिस्टेंट प्रोफेसर (प्राचीन भारतीय इतिहास)

डॉ० अमित श्रीवास्तव — असिस्टेंट प्रोफेसर (हिन्दी)

श्री प्रदीप कुमार — असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत विभाग)

श्री मुकेश कुमार पटेल — असिस्टेंट प्रोफेसर (भूगोल विभाग)

श्रीमती मुक्ता श्रीवास्तव — असिस्टेंट प्रोफेसर (गृह विज्ञान)

डॉ० सुशील शुक्ला — असिस्टेंट प्रोफेसर (बी०एड० विभाग)

डॉ० संजीव शुक्ला — असिस्टेंट प्रोफेसर (बी०एड० विभाग)

श्री० सतेंद्र श्रीवास्तव — असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग)

कु० रजनी बाजपेई — असिस्टेंट प्रोफेसर (वाणिज्य विभाग)

शिक्षेत्तर संवर्ग

श्री मयंक — कार्यालय अधीक्षक
श्री देवेश कुमार सिंह — कनिष्ठ सहायक
श्री मनीष श्रीवास्तव — वरिष्ठ लिपिक, प्रभारी स्थापना प्रकोष्ठ
श्री राम नरेश सिंह यादव — वरिष्ठ लिपिक
श्री कौशलेंद्र कुमार शर्मा — वरिष्ठ लिपिक
श्री मनोज कुमार शर्मा — वरिष्ठ लिपिक
श्री देवेन्द्र वर्मा — लिपिक
श्री दीपक शर्मा — लिपिक
सुश्री पिंकी श्रीवास्तव — लिपिक
श्री विनोद कुमार — दफ्तरी
श्री शिव सहाय — अर्दली
श्री कमलेश कुमार यादव — परिचारक
श्री कमलेश कुमार रावत — परिचारक
श्री उमेश कुमार — परिचारक
श्री अनिल कुमार — परिचारक
श्री ठाकुर प्रसाद — परिचारक
श्री अवधेश कुमार — परिचारक

केवल परिश्रमी, संयमशील, अनुशासन के प्रति आस्था रखने वाले अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु आवेदन करें।

SHRI GANDHI MAHAVIDYALYA

SIDHAULI, SITAPUR, UTTAR PRADESH - 261303

College Website: www.shrigandhicollege.co.in

मूल्य – 240 + 10 = 250/-